न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 46 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 112

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1 आसु पुत्र हरचन्द्र वगैरह	1 गोकुल पुत्र हेमाराम वगैरह

स्थगन प्रार्थना–पत्र

तारीख रजु :– 05.07.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 07.11.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा विष्णुनगर पटवार हल्का बावरला तहसील सांचौर में प्रार्थीगण 1 लगायत 6 के नाम से खातेदारी व मालिकाना हक हकूक कब्जाकाश्त के खेत खाता संख्या 149 के खसरा नंबर 151 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 152 रकबा 3.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 931 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 932 रकबा 1.00 हैक्टेयर कुल रकबा 3.15 हैक्टेयर भूमि तथा इसी ग्राम के खेत खाता संख्या 39 के खसरा नंबर 154 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 155 रकबा 4.36 हैक्टेयर, खसरा नंबर 156 रकबा 2.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 157 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 199 रकबा 1.54 हैक्टेयर कुल रकबा 10.32 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 12 के नाम की भूमि खातेदारी कब्जाकाश्त भूमि आई हुई है। पुराना खसरा नंबर 81 की पुराने नक्शे की दक्षिणी माठ की लंबाई 295 मीटर उक्त पुराना खसरा नंबर 81 के नवीन खसरा नंबर 146, 148, 147, 153 की माठ को 20 मीटर बढ़ा दिया तथा नवीन खसरा नंबर 155 की सामने लंबाई 20 मीटर कम कर दी है जो पुराने नक्शे में स्थित माठ के बराबर होने से रेकर्ड दुरूस्त की जावें। उक्त पुराने से नये नक्शे की लम्बाई चौड़ाई सॉफ्टवेयर में डालकर गणना की गई है जिसके पुराने व नये नक्शों की तुलनात्मक क्षेत्रफल मय आकृति अनुसार नक्शे पेश है। सुविधा के लिहाज से प्रार्थना–पत्र के साथ प्रदर्श संख्या 'अ' पेश किया जा रहा है उक्त नक्शे को प्रार्थना–पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढ़ा जावें। नक्शे में लाल स्याही स्थान के चिहिन्त रेखा अनुसार सीमाकंन का प्रार्थीगण के खेत खातेदारी कब्जा काश्त का आया हुआ है। चिन्हित लाल स्याही स्थान खेत की माठ की स्थाई नेखमबंदी करवाना चाहते है जिससे हम पक्षकारों के हमेशा के लिए सीमा विवाद समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार अप्रार्थीगण गलत नक्शे की गलत आकृति के सृजन का नाजायज फायदा उठाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:12:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

मौके पर दिनांक 25.06.2024 को बजरी, पत्थर, इंटे वगैरह डालकर पक्की दीवार बनाना शुरू कर वाद की विषयवस्तु में परिवर्तन कर रहे है जिससे प्रकरण के प्रस्तुतिकरण का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रार्थना–पत्र के तमाम अवतरणों में उल्लेखित अभिवचनों अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा विष्णुनगर पटवार हल्का बावरला में प्रार्थीगण 1 लगायत 6 के नाम से खातेदारी व मालिकाना हक हकूक कब्जाकाश्त के खेत खसरा नंबर 149, 150, 145, 146, 147, 148, 153 के खेत के गलत नक्शे की आकृति का सृजन किये जाने से उक्त आकृति का गलती का सुधार नहीं किया जाता है, तब तक प्रकरण के मुल निस्तारण तक उक्त गलत नक्शे की आकृति अनुसार किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करें एवं मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति अप्रार्थीगण बनाये रखने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना–पत्र पर गौर फरमाकर प्रार्थीगण का हस्तगत स्थगन आवेदन पत्र आधारहीन, सारहीन, विधिवर्जित व कानूनीयां अपोषणीय होने से मय खारिज फरमावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष बहस सुनी एवं उस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः मौजा विष्णुनगर, पटवार हल्का–बावरला के खेत खसरा संख्या 149, 150, 145, 146, 147, 148, 153 के खेत के बलत नक्शे की आकृति अनुसार अप्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट्स मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक **07.11.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:12:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर